भारत में दवा परीक्षण में हो रही मौतें

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

पिछले दिनों देश-प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदौर के 6 डॉक्टरों द्वारा रोगियों की बगैर जानकारी और बगैर उनसे पूछे उन पर 76 नई दवाओं का परीक्षण किया गया। बदले में डॉक्टरों को दवा कंपनियों से 5.10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। अर्थात प्रत्येक डॉक्टर की जेब औसतन 85 लाख रुपए भारी हुई।

इन प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने मरीज़ों पर दवा परीक्षण की प्रक्रिया में उनके स्वास्थ्य पर पड़े अल्पकालीन-दीर्घकालीन दुष्प्रभावों की न तो जांच की और न ही बदले में उन्हें एक कौड़ी दी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया के अनुसार इन दवाओं के परीक्षण के दौरान 81 मरीज़ों की मृत्यु हुई, परन्तु उन्हें इसके लिए कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया गया। प्रदेश के इन डॉक्टरों ने न तो मेडिकल कॉलेज के डीन और न ही स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में कोई अनुमति ली थी जबकि स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार यह आवश्यक होता है।

मरीज़ों को उन पर किए जा रहे दवा परीक्षणों के बारे में न बताकर उनके मानव अधिकारों का अपराधिक उल्लंघन किया गया। अफसोस की बात यह है कि प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में पूरी रिपोर्ट देने के बावजूद उसके द्वारा कोई कार्रवाई न करने से वह भी इस अपराध में भागीदार बन गया है।

देश की वास्तविकता यह है कि न केवल इंदौर में, बल्कि पूरे देश में नई दवाइयों के परीक्षण बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए यह लागतों को कम करने की कोशिश का अंग है। दवाइयों की उत्पादन लागतों को कम करने के लिए वे न केवल विकासशील देशों से कच्चे माल का आयात करती हैं, बल्कि दवा की जांच का काम भी इन्हीं देशों में करवाती हैं। विकासशील देशों में दवा परीक्षण के दौरान मरीज़ों की सुरक्षा सम्बंधी कानूनी प्रावधान बहुत ढीले होते हैं। फिर ठेके पर इन दवाइयों का परीक्षण करने वाले व्यक्ति परीक्षण के दौरान नैतिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए, दवा कंपनी फाइज़र ने नब्बे के दशक में अपनी दवा ट्रोवान का परीक्षण नाइज़ीरिया में कराने के दौरान कानूनी और नैतिक प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया था।

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए नई दवाओं का परीक्षण विकासशील देशों में कराना सस्ता और सरल तो होता ही है, वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त भी होता है। विकसित देशों के नागरिक अत्यधिक दवाइयों के सेवन करने के आदी होते हैं। इस मामले में, विकासशील देशों के अधिकांश लोग दवा परीक्षणों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। परन्तु कई अन्य कारणों से विकासशील देशों के नागरिकों पर परीक्षण करना अनुपयुक्त होता है। इनका चिकित्सकीय इतिहास आधा-अधूरा होता है तथा परीक्षण में स्थानीय भागीदार कई बार आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करने तथा मरीज़ की आदतों का समुचित रिपोर्टिंग करने में भी असमर्थ होते हैं। फिर दवाइयों के प्रभाव विभिन्न संस्कृति व समाजों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

भारत में दवा परीक्षण कराने वाली प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं - एली लिली, नोवार्टिस, फाइज़र, बेयर, मर्क, जॉनसन एण्ड जॉनसन, एवं सैनोफी-एवेन्टिस। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 671 व्यक्तियों की मृत्यु दवा परीक्षणों के दौरान हुई है। सरकार ने 44 कंपनियों से पूछा है कि उन्होंने सम्बंधित व्यक्तियों को आवश्यक क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी है? जिन कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनमें फाइज़र, बेयर, एली लिली, मर्क, जॉनसन एण्ड जॉनसन और सैनोफी एवेन्टिस शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सैनोफी एवेन्टिस द्वारा

कराए गए परीक्षणों के दौरान 152 व्यक्तियों की तथा बेयर कंपनी के परीक्षणों में 138 व्यक्तियों की मौत हुई है। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनने पर कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा होती है परन्तु दवा परीक्षण के दौरान मरीज़ों की मौत का कारण बनने पर दवा कंपनियों का बाल भी बांका नहीं होता। इसके विपरीत, बाद में कंपनियों को यही दवाइयां अनाप-शनाप मुनाफे पर बेचने की पूरी छूट मिलती है। भाजपा नेता सुश्री मेनका गांधी के अनुसार दवा परीक्षणों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है।

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां दवा परीक्षणों के दौरान होने वाली मौतों का दायित्व स्वीकार करने से साफ इंकार कर देती हैं। उदाहरण के लिए, नोवार्टिस कंपनी का तर्क है कि मरीज़ों की मौत दवा के कारण न होकर पूर्व की बीमारियों के उभरने के कारण होती है। अन्य कंपनियां भी यह तर्क देती हैं कि मरीज की मृत्यु कैंसर, हृदयाघात या मस्तिष्क सम्बंधी बीमारियों के कारण हुई है, परीक्षणों के कारण नहीं।

यहां यह प्रश्न उठता है कि कंपनियों ने परीक्षण शुरू करने से पूर्व मरीज़ के स्वास्थ्य की पूरी जांच क्यों नहीं कराई? इस तर्क को स्वीकार कर लें तो भी दवा परीक्षणों के दौरान होने वाली मौतों में से अनेक का कारण अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। दवा परीक्षण ही निर्विवाद और स्पष्ट रूप से इन मौतों का कारण बनकर उभरता है। फिर अन्य मौतों के कारणों के संदर्भ भी सरकार 'हो सकता' है, 'संभावना है' आदि शब्दों का उपयोग करती है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बचाव के लिए प्रभावी कवच का कार्य करता है। गंभीर बीमारियां से होने वाली मौतों को दवा परीक्षण के दौरान हुई मौतों में हटा दिया जाए तो भी 671 में से 26 मौतें ऐसी बचती हैं जिनका कारण स्पष्ट रूप से दवा परीक्षण ही है, परन्तु हमारी सरकार केवल तीन मौतों के लिए मरीज़ों के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलवा सकी है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष घुटने टेक देती है।

यह भी हैरत और दुख की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास दवा परीक्षणों के दौरान होने वाली मौतों का न तो विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है और न ही मरीज़ों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विवरण होते हैं। हमारे राजनैतिक दल भी इस बारे में कतई जागरूक नहीं है। केवल सुश्री मेनका गांधी इस बारे में अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। उनके अनुसार दवा परीक्षणों से सन 2006 में 136 मौतें हुई थीं।

दवा परीक्षणों के दौरान होने वाली मौतों तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सरकार और राजनैतिक दलों की उदासीनता का लाभ उठाकर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां अपने दवा परीक्षण भारत में करना पसंद करती हैं। वे इन दवाओं का परीक्षण करवाते समय मरीज़ों का अनिवार्य बीमा भी नहीं कराती हैं। उनके लिए तो भारतीय लोग गिनी पिग्स से अधिक कुछ नहीं हैं। समय आ गया है कि जनमत को इस दिशा में तैयार किया जाए ताकि सरकार दवा परीक्षणों के दौरान मरीज़ों की सुरक्षा, उनके बीमा आदि के लिए स्पष्ट कानून बनाए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बने कि वे कानून का पालन करें।

(स्रोत फीचर्स)

वर्ग पहेली 84 का हल

मे	घ	ना	द		प	रि	मि	ति
	न		म	च्छ	र		या	
			क		का		दी	प
	फै		ल	ह	र		बु	
श	र	द		ज़ा		ख	खा	र
	न		प	र	ख		र	
दो	हा		ड़		ड़ी			
	इ		ता	लि	का		पां	
अ	ट	क	ल		ट	क	सा	ल